[2022] 13 S.C.R.1129

श्री छत्रपति शिवाजी गौशाला

बनाम.

राज्य महाराष्ट्र और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1719 / 2022)

30 सितंबर, 2022

[डॉ. धनंजय वाय. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली, न्यायमूर्तिगण.]

मवेशी: मुकदमा के प्रक्रिया के दौरान संपत्ति की हिरासत - एक ट्रक जो 18 मवेशियों को परिवहन कर रहा था, उसे रोक लिया गया - ट्रक का चालक संबंधित परमिट के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असमर्थ था - मवेशियों को जब्त कर लिया गया और FIR महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 5A, 6, PCA अधिनियम की धारा 11(1)(d) और अन्य संबंधित प्रावधानों के लिए दर्ज की गई थी। प्रतिवादियों ने धारा 451 और 457 Cr.PC के अंतर्गत मवेशियों की अंतरिम हिरासत मांगते हुए एक आवेदन दायर किया कि वे मवेशियों के मालिक हैं - मजिस्ट्रेट ने आवेदन को खारिज कर दिया - इसी समय, अपीलार्थियों (गौशाला) ने PCA अधिनियम की धारा 8(b) के तहत और पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (मामला संपत्ति पशुओं की देखभाल और रख-रखाव) नियम, 2017 के नियम 3, 4 और 5 के साथ मिलाकर मवेशियों की अंतरिम हिरासत के लिए आवेदन दायर किया।- मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए आवेदन को मंजूरी दी और उन्हें मवेशियों की हिरासत प्रदान की। सत्र न्यायाधीश ने निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई संशोधन याचिका को मंजूरी दी और यह तय किया कि चूंकि वे मालिक हैं, वे जब्त किए गए पशुओं की हिरासत का हकदार थे, मवेशियों के संरक्षण के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधन पत्र के प्रस्थापन की शर्त पर। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के आदेश को मान्यता दी, यह ध्यान में रखते हुए कि कोई सामग्री नहीं थी जिससे सूचित होता कि मवेशियों को भौतिक रूप से क्षति पहुंचाई गई थी या उन्हें खतरे में डाला गया था या उन्हें भूखा रखा गया था- - निष्कर्ष: महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(3) की प्रावधान से गाय, सांड, या बैल को नजदीकी गोसदन, गोशाला, पिंजरपोल, हिंसा निवारण संघ या ऐसे अन्य पशु कल्याण संगठन को सौंपने की प्रावधान है जो ऐसी हिरासत स्वीकार करने के लिए

तैयार है - चूंकि निजी प्रतिवादियों ने प्रतिस्पर्ध गायों को एक वैध परमिट के बिना क्रूर परिस्थितियों में ले जा रहे थे, और अपीलकर्ता ने पशुओं की अंतरिम हिरासत स्वीकार करने की अपनी इच्छा दिखाई है, न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष पर पहुंचाया कि पशु निजी प्रतिवादियों की तुलना में अपीलकर्ता की हिरासत में सुरक्षित रहेंगे - महाराष्ट्र अधिनियम के तहत अपराधों के लिए यथाशीघ्र और पसंदीदा तरीके से छह महीने की अवधि में मुकदमा होना चाहिए ताकि पशु अनिश्चित अवधि के लिए हिरासत में न रहें - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 451 और 457 - महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 - धारा 8, 6, 5A, 5B, 5C और 5D - पशु क्रूरता का रोकथाम अधिनियम, 1960 - धारा 11, 35 और 38 - पशु क्रूरता का रोकथाम (मामला संपत्ति पशु की देखरेख और रखरखाव) नियम, 2017 - नियम 3, 4 और 5 - मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 117 - पशु परिवहन नियम, 1978।

अपील को स्वीकारते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(3) की प्रतिसूचना को 1995 के संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। प्रतिसूचना में प्रावधान है कि मुकदमा के दौरान, जब्त की गई गाय, सांड या बैल को नजदीकी *गोसदन, गोशाला, पिंजरपोल, हिंसा निवारण संघ* या ऐसे अन्य पशु कल्याण संगठन को सौंपा जाएगा जो ऐसी हिरासत स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं और आरोपी को उनकी देखभाल के लिए भुगतान करना होगा जब वे हिरासत में रहते हैं। अपीलकर्ता ने पशुओं की हिरासत का दावा करने के लिए धारा 8(3) की प्रतिसूचना को इस्तेमाल किया है। धारा 8(3) की प्रतिसूचना को शामिल करने का विधायिका का उद्देश्य महाराष्ट्र अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी तरीके से लागू करना था, जो दुग्ध, प्रजनन, खींचने या कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोगी गाय, सांड, और बैलों की संरक्षण और संरक्षण का था। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता जब्त की गई पशुओं की हिरासत स्वीकार करने के लिए तैयार और प्रस्तुत था। प्राथमिक रूप से निष्कर्ष पर पहुँचाया गया कि निजी प्रतिवादियों ने 1978 के पशु परिवहन नियम का उल्लंघन किया था, इसलिए यह न्यायालय पर बाध्यकारी था कि वह सुनिश्चित करे कि जब्त की गई पशु ठीक से संरक्षित और देखभाल की जाएगी, जब तक मुकदमा की कार्यवाही समाप्त न हो जाए। [अनुच्छेद 14 और 20]

2.प्रतिवादी ने उसकी इच्छा प्रकट की है कि वह पशुओं की अंतरिम हिरासत स्वीकार करे। यदि ध्यान दिया जाए कि निजी प्रतिवादियों ने प्रकट किया कि वे एक मान्य अनुमति के बिना पशुओं को क्रूर परिस्थितियों में ले जा रहे थे, तो जेएमएफसीने सही निष्कर्ष पर पहुंचाया कि पशु निजी प्रतिवादियों की हिरासत में होने की बजाय प्रतिवादी की हिरासत में सुरक्षित रहेंगे। [अनुच्छेद 21]

3. पशुओं की जब्ती फरवरी 2019 में हुई थी, इसके बाद से पशुओं में से दो की मौत हो गई है, बाकी की सोलह पशु प्रतिवादी के पास हैं। ऐसे मामलों में, यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा जल्दी से जल्दी हो और यह प्राथमिकता से छह महीने के भीतर समाप्त होना चाहिए। इससे सुनिश्चित होगा कि पशु महाराष्ट्र अधिनियम के अनुच्छेद 8(3) की प्रावधान के अंतर्गत अनिश्चित अवधि के लिए हिरासत में नहीं रहेंगे। [अनुच्छेद 22]

प्रबंधक, पिंजरपोल देउदार और अन्य बनाम चक्रम मोराजी नात और अन्य **(1998) 6 SCC 520**: **[1998] 1Suppl.SCR 198**;*जगतगुरु संत तुकाराम गोशाला बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य* **[2005] 3 SCR 630 - संदर्भित।**

<u>मामलों के संदर्भ</u>

[1998] 1 Suppl. SCR 198	**संदर्भित**	**अनुच्छेद 7 में**
[2005] 3 SCR 630	**संदर्भित**	**अनुच्छेद 23 में**

आपराधिक अपील अधिकारिकता: आपराधिक अपील संख्या 1719 / 2022.

"उच्च न्यायालय के न्यायिक परिषद में दिनांक 17-10-2019 के निर्णय और आदेश से, जो बोम्बे के औरंगाबाद में CRLWP संख्या 762/2019 में पास किया गया था।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ वकील, आयुष आनंद, शुभेंदु आनंद, अप्रित परकाश, शिवम सिंघानी, राजू गुप्ता, पी.एस.सुधीर, भरत सूद, श्रुति जोस, वकील अपीलकर्त्ता के लिए।

सचिन पाटिल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, जियो जोसेफ, ऋष्वी मुहम्मद, दुर्गेश गुप्ता, वकील प्रतिवादियों के लिए।

<u>निर्णय</u>

1. अनुमति प्रदान किया गया।

2. यह अपील एकल न्यायधीश के 17 अक्टूबर 2019 के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जो औरंगाबाद बेंच के बॉम्बे के उच्च न्यायालय में है।

3. 17 मार्च 2019 को, एक ट्रक को रोका गया जिसमें अठारह पशु - पंद्रह बैल और तीन भैंसें - परिवहन किये जा रहे थे। आठवें प्रतिवादी ट्रक चला रहे थे और उन्हें संबंधित परमिट के बारे में संतोषजनक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ थे। ट्रक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पशु जब्त किए गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट No. 59 of 2019 को 17 मार्च 2019 को परभणी ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर पंजीकृत किया गया था। महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 1995[1] की धारा 5A के तहत सजा पाने वाले अपराधों के लिए और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976[2] की धारा 6, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए अधिनियम 1960[3] की धारा 11(1)(d), मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 और अन्य संबंधित प्रावधानों के लिए।

4. दूसरे से आठवें प्रतिवादी जब्त पशु के मालिक होने का दावा करते हैं। प्रतिवादी एक गौशाला है जो परभणी, महाराष्ट्र में पशुओं की कल्याण, संरक्षण, और सुरक्षा में सक्रिय है। 20 मार्च 2019 को दूसरे से आठवें प्रतिवादियों ने परभणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट पहली श्रेणी के सामने एक प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसमें उन्होंने पशुओं की अंतरिम हिरासत की मांग की थी। उसके बाद, अपीलार्थी ने भी 22 मार्च 2019 को महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(b) की प्रावधी के तहत और पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (मामला संपत्ति पशुओं की देखभाल और अन्धेर बनाए रखने) नियम, 2017 के नियम 3, 4, और 5 के तहत परीक्षण के समापन तक पशुओं की अंतरिम हिरासत के लिए एक आवेदन दाखिल किया।

5. 1 अप्रैल 2019 की एक आदेश द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने प्रतिवादी द्वारा दायर प्रार्थना को स्वीकार किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया, ध्यान में रखते हुए कि उनके पास संबंधित समय पर ट्रक में पशु ले जाने के लिए उचित परमिट नहीं था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने नोट किया कि पशु प्रतिवादी की हिरासत में सुरक्षित रहेंगे। इसके अतिरिक्त, निजी प्रतिवादियों को प्रति पशु प्रति दिन 100 रुपये की राशि प्रतिवादी को पशुओं की देखभाल और उपचार के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया।

6. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-3, परभणी ने 24 अप्रैल 2019 को निजी प्रतिवादियों द्वारा पसंद की गई समीक्षा को स्वीकार किया और तय किया कि वे जब्त पशुओं की हिरासत के लिए पात्र हैं, पशुओं के संरक्षण के लिए एक जमानत पत्र के प्रस्थान पर। सत्र न्यायाधीश ने नोट किया कि स्वामियों होने के नाते, निजी प्रतिवादियों को जब्त पशुओं की अंतरिम हिरासत पाने का प्राथमिक अधिकार था। सत्र न्यायाधीश ने ध्यान में रखते हुए समीक्षा को स्वीकार किया कि मुकदमा अदालत ने CrPC की धारा 457 का ध्यान नहीं दिया।

7. सत्र न्यायाधीश के आदेश को संविधान की धारा 227 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा एक रिट याचिका में प्रश्न किया गया। उच्च न्यायालय ने अपने 17 अक्टूबर 2019 के विवादित निर्णय में याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने इस अदालत के एक निर्णय पर आधारित होते हुए निजी प्रतिवादियों को हिरासत प्रदान करने वाले सत्र न्यायाधीश के आदेश को मान्यता दी, जिसका नाम है *प्रबंधक पिंजरपोल देउदार और अन्य बनाम. चक्रम मोराजी नात और अन्य* [5] । उच्च न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि प्राथमिक रूप से, रिकॉर्ड पर सामग्री यह सूचित करती है कि पशुओं को परिवहन के लिए क्रूर स्थितियों में रखा जा रहा था क्योंकि एक ही ट्रक में कुल मिलाकर अठारह पशु लदे गए थे। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया:

> "16. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई विचार करे, तो जज के सामने एक मात्र सामग्री थी जो प्राथमिक रूप से दिखा रही थी कि पशुओं के साथ क्रूरता से पेश आया जा रहा था, यह है कि पंद्रह बैल और तीन भैंसें एक वाहन में परिवहित की जा रही थीं। जैसा कि प्रतिवादी के वकील ने सूचित किया, 1978 के जानवरों के परिवहन के नियम, जो पशुओं के प्रति क्रूरता के रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 38 में अनुमति प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए थे, स्पष्ट रूप से जानवरों के परिवहन के लिए विविध विस्तृत प्रावधान तय करते हैं। अध्याय IV पशुओं के लेन-देन के लिए नियम 47 से 56 तक की प्रावधानों को निर्धारित करता है। नियम 56 तय करता है कि जब पशुओं को सामग्री वाहन द्वारा परिवहित किया जा रहा हो, तो वाहन में एक विशेष प्रकार की पूंछ की बोर्ड और पार्श्वों के चारों ओर पैडिंग होनी चाहिए, यह एंटी-स्लीपिंग सामग्री प्रदान करनी चाहिए और कोई सामग्री वाहन छह से अधिक पशु नहीं ले सकता। वर्तमान मामले में, एक ही वाहन में कुल मिलाकर अठारह पशु परिवहित किए जा रहे थे और ऐसा परिवहन स्पष्ट रूप से इस नियम का उल्लंघन कर रहा था और यह क्रूरता का परिणाम था।

8. हालांकि, उच्च न्यायालय ने तय किया कि पशुओं को भौतिक रूप से क्षति पहुंचाई गई थी, या वे खतरे में थे या उन्हें भूखा रखा जा रहा था, ऐसा कोई सामग्री नहीं था। उच्च न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि अगर वे अपने मालिकों को वापस लौटाए जाते हैं, तो पशुओं का समान क्रूरता का सामना करना पड़ेगा, चूंकि आरोपी में पूर्व आपराधिक प्रवृत्तियां थीं। इस अदालत के उपर्युक्त निर्णय पर आधारित होते हुए उच्च न्यायालय ने तय किया कि जब मजिस्ट्रेट पशुओं की अंतरिम हिरासत के अनुरोध के साथ संलग्न होता है, तो उसे इस अदालत में *प्रबंधक, पिंजरपोल देउदार और अन्य* (उपरोक्त) के निर्णय में उल्लेख की गई परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने आगे तय किया कि महाराष्ट्र अधिनियम की

धारा 8(3) के आधार पर जेएमएफसी द्वारा अपीलकर्ता को अंतरिम हिरासत प्रदान करने का निर्णय, प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए स्पष्ट रूप से विकृत और मनमाना था। इसलिए, इन आधारों पर, सत्र न्यायालय के आदेश में रिवीजन का हस्तक्षेप उच्च न्यायालय द्वारा रिट क्षेत्राधिकार का अभ्यास करते हुए नहीं किया गया।

9. हमने डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, जो अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हो रहे हैं, और श्री सचिन पाटिल को, जो महाराष्ट्र राज्य के लिए अधिवक्ता हैं।

10. निजी प्रतिवादियों को सूचना जारी की गई थी। कार्यालय की रिपोर्ट इसे सूचित करती है कि उन्हें सेव किया गया है, लेकिन उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।

11. महाराष्ट्र अधिनियम को 16 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह 1 मार्च 1977 को महाराष्ट्र सरकार की राजपत्रिता में प्रकाशित हुआ। इसे 1995 के संशोधन अधिनियम से संशोधित किया गया, जिसे लगभग दो दशकों बाद 26 फरवरी 2015 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह 4 मार्च 2015 को महाराष्ट्र सरकार की राजपत्रिता में प्रकाशित हुआ।

12. महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8 में प्रवेश, खोज, जब्त और हिरासत के प्रावधान समाहित हैं। उक्त प्रावधान नीचे प्रस्तुत है:

> **"प्रवेश, खोज, जब्त और हिरासत की शक्तियां।–** (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, समर्थ प्राधिकृत या किसी ऐसे व्यक्ति जिसे समर्थ प्राधिकृत ने लिखित में अधिकृत किया हो (इस अनुभाग में "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में संदर्भित) के पास वह स्थान देखने और जाँचने की शक्ति होगी, जहाँ समर्थ प्राधिकृत या अधिकृत व्यक्ति को विश्वास है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध हो चुका है, या संभावना है कि हो सकता है।
>
> (2) इस प्रकार की किसी भी स्थान में व्यापार कर रहे हर व्यक्ति को उस स्थान तक पहुंचने के लिए समाजिक प्राधिकृत या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी अनुमति देनी चाहिए जैसा कि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, और उसे समाजिक प्राधिकृत या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का जवाब उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार देना चाहिए।
>
> (3) किसी भी पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं है, या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति, धारा 5-ए, 5-बी, 5-सी या 5-

डी की प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने या सत्यापित करने के लिए कि उक्त धाराओं के प्रावधानों का पालन किया गया है, वह

(a) प्रवेश करें, रुकें और खोजें, या किसी व्यक्ति को गाय, सांड या बैल के निर्यात के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त होने वाले किसी वाहन को प्रवेश करने, रोकने और खोजने की अनुमति दें।

(b) उस गाय, सांड या बैल का जब्त करें या जब्त करने की अनुमति दें जिसके प्रति वह संदेह करता है कि धारा 5-ए, 5-बी, 5-सी या 5-डी का कोई प्रावधान, उल्लंघित किया गया है, हो रहा है या उल्लंघित होने वाला है, साथ में ऐसे वाहनों के साथ जिसमें ऐसे गाय, सांड या बैल पाया जाता है और फिर ऐसे गाय, सांड या बैल और जब्त किए गए वाहनों के निर्माण को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय लेने या लेने की अनुमति दें, एक अदालत में और उनकी सुरक्षित हिरासत में पेंडिंग ऐसे उत्पादन:

प्रदत्त कि पेंडिंग मुकदमा, जब्त किए गए गाय, सांड या बैल को निकटतम गोसादन, गोशाला, पंजरपोल, हिंसा निवारण संघ या ऐसे अन्य पशु कल्याण संगठनों को सौंपा जाएगा जो हिरासत स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं और आरोपी को उनकी देखभाल के लिए भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी जब तक वे किसी भी उक्त संस्थानों या संगठनों की हिरासत में हों जैसा कि अदालत के आदेशों के अनुसार।

(4) धारा 100 की प्रावधानें, जो 1973 के दंड प्रक्रिया संहिता (2 of 1974) के संबंध में खोज और जब्त से संबंधित हैं, यहां तक कि हो सके, इस धारा के तहत खोज और जब्त के लिए लागू होंगी।

(बल दिया गया)

13 . धारा 8(3) एक पुलिस अधिकारी को उप-निरीक्षक के पद से नीचे नहीं होने या उचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को, इसमें अन्य बातों के साथ, एक गाय, सांड, या बैल का जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके प्रति वह संदेह करता है कि धारा 5A, 5B, 5C, या 5D के प्रावधान उल्लंघित किए जा रहे हैं या उल्लंघित होने वाले हैं। प्रावधान यह भी प्राधिकृत करता है कि जिस वाहन में पशु परिवहित किए जा रहे हैं, उसका जब्त किया जाए। महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 5A निम्नलिखित शब्दों में है:

"5-A. गाय, सांड या बैल के वध के लिए परिवहन और निर्यात पर प्रतिबंध।(1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना में इसके वध के उद्देश्य से राज्य के किसी भी स्थान से बाहर किसी भी स्थान पर गाय, सांड या बैल का परिवहन नहीं

करेगा या परिवहन के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा या परिवहित करवाएगा, जानते हुए कि यह होगा या संभावना है कि ऐसा होगा, इस प्रकार से वध किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को महाराष्ट्र राज्य से बाहर गाय, सांड या बैल का निर्यात नहीं करना चाहिए या कारण बनना चाहिए वध के उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधि, सेवक या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, इस अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना में या जानते हुए कि यह होगा या संभावना है कि ऐसा होगा, वध किया जाएगा।"

14. महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान को 1995 के संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था। प्रावधान निर्धारित करता है कि पेंडिंग मुकदमा में, जब्त किए गए *गाय, सांड या बैल को निकटतम गोसादन, गोशाला, पिंजरपोल, हिंसा निवारण संघ* या ऐसे अन्य पशु कल्याण संगठनों को सौंपा जाएगा जो हिरासत स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं और आरोपी को उनकी देखभाल के लिए भुगतान करने की जिम्मेदारी होगी जब तक वे हिरासत में हैं। अपीलकर्ता ने पशुओं की हिरासत का दावा करने के लिए धारा 8(3) के प्रावधान को आवेदन किया है।

15. हालांकि उच्च न्यायालय ने संशोधित धारा 8(3) के प्रावधानों का उल्लेख किया, इसने इस अदालत के निर्णय पर भरोसा किया है ***प्रबंधक, पिंजरपोल देउदार और अन्य*** **(उपरोक्त)** में। अब वह मामला **पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम ,(PCA) अधिनियम** की धारा 35 द्वारा प्रदान की गई शक्ति से संबंधित है। उस अधिनियम की धारा 35(2) निम्नलिखित शब्दों में है:

"35. पशुओं का उपचार और देखभाल: ***

(2)जिस मजिस्ट्रेट के सामने इस अधिनियम के खिलाफ एक अपराध के लिए मुकदमा दायर किया गया है, वह निर्देश दे सकता है कि संबंधित पशु का एक चिकित्सालय में उपचार और देखभाल किया जाए, जब तक यह अपने सामान्य कार्य को प्रदर्शित करने के लिए योग्य नहीं हो जाता है या इसे छोड़ दिया जाना योग्य नहीं होता है, या इसे *पिंजरपोल* में भेजा जाए, या यदि प्रदेश में जिसमें पशु पाया गया है उसका प्रभारी पशुचिकित्सक अधिकारी या इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत अन्य पशुचिकित्सक अधिकारी प्रमाणित करता है कि यह असमर्थ है या यह निर्दयता के बिना हटाया नहीं जा सकता है, तो यह नष्ट किया जाए।"

6. ऊपर दिए गए प्रावधान की व्याख्या करते हुए, इस अदालत ने *प्रबंधक, पिंजरपोल देउदार और अन्य* (उपरोक्त) में नोट किया कि:

"8. *** उप-धारा (2) के तहत, मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि:

(a) पशु को चिकित्सालय में उपचार और देखभाल के लिए भेजा जाएगा जब तक यह अपने सामान्य कार्य को प्रदर्शित करने के लिए या अन्यत: मुक्ति के लिए योग्य नहीं हो जाता है;

(b) पशु को पिंजरपोल में भेजा जाएगा; या

(c) यदि पशु नियमों के तहत प्राधिकृत पशुचिकित्सक अधिकारी द्वारा असमर्थ प्रमाणित किया जाए, या यदि पाया जाए कि यह निर्दयता के बिना हटाया नहीं जा सकता है, तो पशु को नष्ट कर दिया जाएगा।"

17. इस पृष्ठभूमि में यह अदालत **प्रबंधक, पिंजरपोल देउदार और अन्य** (उपरोक्त) में निर्णय दी थी कि धारा 35(2) जेएमएफसीमें पशुओं को पिंजरपोल को अंतरिम हावालत में देने का विवेक निहित है। इस अदालत ने निरीक्षण किया:

"10. अब धारा 35(2) के तहत यह तर्क स्वीकार करते हुए कि यदि पशु को चिकित्सालय में नहीं भेजा जाता है, तो मजिस्ट्रेट को पिंजरपोल को अंतरिम हावालत देना चाहिए, हमें इसे स्वीकार करने में कठिनाई महसूस होती है। हमने धारा 35(2) के तहत मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध विकल्पों का उल्लेख किया है। वह उप-धारा मजिस्ट्रेट में पशु को पिंजरपोल को अंतरिम हावालत देने का विवेक निहित करती है। उप-धारा का मौलिक भाग (अन्य विवरणों से वंचित) पढ़ेगा, मजिस्ट्रेट पशु को पिंजरपोल में भेजने के लिए निर्देश दे सकता है। उप-धारा (2) यह नहीं कहती कि मजिस्ट्रेट पशुओं को पिंजरपोल में भेजेगा। इससे स्पष्ट है कि अभिवादी "भेजा जाएगा" मजिस्ट्रेट द्वारा दिए जाने वाले निर्देश का एक हिस्सा है अगर वह अपने विवेक में निर्णय लेता है कि पिंजरपोल को अंतरिम हावालत दिया जाए। इससे यह अनुसरण होता है कि अधिनियम की धारा 35(2) के तहत, मजिस्ट्रेट को पशु को पिंजरपोल में अंतरिम हावालत देने का विवेक है लेकिन वह इसे चिकित्सालय में नहीं भेजने की घटना में पशु को पिंजरपोल को हावालत में देने पर बाध्य नहीं है। एक मामले में जहां मालिक पशु की हावालत का दावा कर रहा है, पिंजरपोल का कोई प्राथमिक अधिकार नहीं है। निर्णय लेने में कि पशु की अंतरिम हावालत मालिक को दी जाए, जो अभियोजन का सामना कर रहा है, या पिंजरपोल को, निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण होंगे:"

1.मालिक के खिलाफ आरोपित अपराध की प्रकृति और गंभीरता;

2.यह पहला अपराध है या उसे पहले अधिनियम के तहत अपराधी पाया गया है;

3.अगर मालिक अधिनियम के तहत पहली बार प्रताड़ना का सामना कर रहा है, तो जानवर को जब्त किये जाने का खतरा नहीं होता, इसलिए मालिक के पास प्रताड़ना के दौरान जानवर की हिरासत का बेहतर दावा होता है;

4.जाँच और जब्ती के समय जानवर की पाई गई स्थिति।

5.जानवर को फिर से अत्याचार का सामना करने की संभावना।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि पिंजरपोल की स्थापना जानवरों को अनावश्यक पीड़ा या पीड़ित होने से बचाने और उन्हें और पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। लेकिन इसे भी देखना चाहिए:

(a)पिंजरपोल स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य कर रहा है या बोर्ड की योजना के तहत है और बोर्ड के प्रति जवाबदेह है; और

(b)पिंजरपोल के पास उसकी हिरासत में दिए गए जानवरों की देखभाल का अच्छा रिकॉर्ड है।"

18. इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियां PCA अधिनियम की धारा 35(2) की\व्याख्या करती हैं। जैसा कि अदालत ने ध्यान दिलाया, उस प्रावधान में यह आदेश नहीं है कि मजिस्ट्रेट पशु को पिंजरपोल में भेजेगा। उस प्रावधान के तहत, मजिस्ट्रेट के पास एक पिंजरपोल को पशु की अंतरिम हिरासत सौंपने का विवेक है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

19. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने जिस परिस्थिति में मवेशी परिवहित किये जा रहे थे, उसे मूल्यांकन करते हुए प्राथमिक निष्कर्ष पर पहुँचा कि एक ही वाहन में कुल मिलाकर अठारह मवेशी परिवहित किए जा रहे थे। उच्च न्यायालय ने भी ध्यान दिलाया है कि यह पशुओं की परिवहन नियम 1978 के नियम 56 का उल्लंघन करके अत्याचार का प्रतिनिधित्व करता है, जो (PCA) *पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम ,* अधिनियम की धारा 38 की सक्षम प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया था। महाराष्ट्र अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त है।

20. धारा 8(3) में प्रावधान जोड़ने का विधायिका का उद्देश्य महाराष्ट्र अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाना था ताकि दूध, प्रजनन, खींचने या कृषि उद्देश्यों के लिए उपयुक्त गाय, बैल और बल्ले को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(3) का प्रावधान पकड़ी गई गाय, बैल या बल्ले को नजदीकी गोसदन, गोशाला, पिंजरपोल, हिंसा निवारण संघ या ऐसे अन्य पशु कल्याण संगठन को सौंपने के लिए प्रावधान करता है जो ऐसी हिरासत स्वीकार करने को तैयार है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पकड़ी गई मवेशी की हिरासत स्वीकार करने के लिए तैयार और सजीव था। पशु परिवहन नियम 1978 का उल्लंघन करने वाले निजी प्रतिवादियों के प्राथमिक टिप्पणी के प्रकाश में, यह उच्च न्यायालय पर बढ़ती थी कि पकड़ी गई मवेशी को सही तरीके से संरक्षित और अच्छी तरह से बनाए रखा जाएगा जब तक मुकदमे की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती।

21 .अपीलकर्ता ने मवेशी की अंतरिम हिरासत स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की है। तथ्य की दृष्टि में कि निजी प्रतिवादियां प्रथम दर्जे में मवेशी को क्रूर हालतों में एक मान्य परमिट के बिना ले जा रहे थे, जेएमएफसी ने सही तरीके से निष्कर्ष पाया कि मवेशी निजी प्रतिवादियों के बजाय अपीलकर्ता की हिरासत में सुरक्षित रहेगी। ऊपर दिए गए निष्कर्ष के माध्यम से, जो अंतिम दिशा उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई थी, वह महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान के खिलाफ थी और इसे अलग कर दिया जाना चाहिए, जबकि जेएमएफसीके आदेश को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। हम इसी तरह का आदेश जारी करते हैं।

22.न्यायालय को यह बताया गया है कि मवेशी के जब्त होने के बाद से फरवरी 2019 में, दो मवेशियों की मौत हो गई है, छोड़कर सोलह मवेशियां संतुलन में, अपीलकर्ता के पास। इस प्रकार के मामलों में, यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा तेजी से होना चाहिए और यह प्राथमिकता से छह महीनों के भीतर समाप्त होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पशु महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान के अंतर्गत अनिश्चित समय के लिए हिरासत में नहीं रहते। हम इस शर्त में एक दिशा जारी करते हैं।

23.इस अदालत की दो-न्यायाधीश की पीठ के एक आदेश में जो 25 जनवरी 2022 को **जगतगुरु संत तुकाराम गोशाला बनाम. राज्य महाराष्ट्र और अन्य** में दिया गया था, अदालत ने एक तथ्य परिस्थिति का उल्लेख किया जिसमें 24 जुलाई 2012 को जब्त की गई मवेशी एक दशक तक हिरासत में रही थी और इसने अपनी वाणिज्यिक उपयोगिता को अधिकांशतः समाप्त कर दिया। वर्तमान मामले में, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, दो मवेशियों की मौत

हो गई है। इससे यह निष्कर्ष पर पहुंचाया जाता है कि महाराष्ट्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिका तेजी से समाप्त की जानी चाहिए। संबंधित अदालतें छह महीनों के भीतर मुकदमे को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी ताकि अंतिमता लाई जा सके।

24.उपरोक्त शर्तों में अपील स्वीकार की जाती है। 17 अक्टूबर 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कासित निर्णय और आदेश को अलग किया जाता है। 1 अप्रैल 2019 को जेएमएफसी द्वारा दिए गए आदेश को पुनः स्थापित किया जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता ने इस अदालत के सामने कहा है कि वे मुकदमा के दौरान पशुओं की देखभाल के लिए किसी भी मुआवजा का दावा करने पर जोर नहीं देंगे। चूंकि एक महत्वपूर्ण अवधि पहले ही बीत चुकी है, जेएमएफसी को तीन महीनों के भीतर मुकदमा समाप्त करना चाहिए।

25.प्रलंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाते हैं।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की जाती है।
(सहायक: प्रीतम भारती,"LCRA)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित